निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 59 / 2024
दायरा दिनांकः–09.10.2024
निर्णय दिनांकः– 11-12-24

उनवान

कमलेश यादव आयु 56 वर्ष पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव जाति जाटव निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 11-12-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज. जमाबन्दी स. 63 सम्वत 2076–2079 में जो प्रार्थीया के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जो संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है । प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 23.9.2013 में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खातेदारा मांगीबाई से खरिद की जिसका नामान्तरण न. 784 ग्राम चावलखेडी दिनांक 20.11.2016 को प्रार्थीया के नाम मुताबिक विक्रयपत्र दिनांक 23.9.2013 से कमलेश यादव पत्नी लक्ष्मीचन्द यादव जाति जाटव निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राज खोला जाना था परन्तु लेखनीय त्रुटी से सहवन से जाति जाटव के स्थान पर जाति यादव लिखने में आ गया । प्रार्थीया की जाति जाटव हैं। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से लेखनीय त्रुटी से जाति चमार अंकित हो गयी जिसे दुरूस्त किया किया जाना अतिआवश्यक व न्योचित है। प्रार्थीया वादीया द्वारा राजस्व रिकार्ड मे जाति सही / दुरूरस्त कराने बाबत राजस्व कर्मचारीयो से सम्पर्क किया तो अदालत मे कार्यवाही करने को कहां। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम दुरूस्त नहीं होने से प्रार्थी को अपनी भूमि के विकास व ऋण आदि में आऐ दिन परेशानी होती है। सामाजिक व राजकीय कार्य में अशुद्ध नाम का राजस्व रिकार्ड में होने से मानसिक पीड़ा होती हैं। इसलिए नाम दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। उक्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 23.9.2013 एवं श्रीमान तहसीलदार छबडा द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र दिनांक 4.2.20009 में भी प्रार्थीया की जाति जाटव ही अंकित है। प्रार्थीया कमलेश यादव जाति जाटव निवासी छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसील छबडा जिला बारां राज, इसी नाम से जाना–पहचाना जाता है। प्रार्थीया के इस नाम पता वाली प्रार्थीया के अलावा अन्य कोई भी कोई महिला जाटव जाति की नहीं है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी मे अपने सही जाति का नाम दर्ज कराने का कानूनी अधिकारी है। जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया कमलेश यादव पत्नी लक्ष्मीचन्द जाति जाटव निवासी छबडा तहसील छबड़ा जिला बारां राज. का वास्तविक सही नाम दर्ज नहीं होने पर अकारण ही प्रार्थीया को अकारण कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणामस्वरूप प्रार्थीया को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है। विवादित आराजी ग्राम चावलखेडी तहसील छबड़ा जिला बारां राज. माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमा में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को इस प्रा.पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 63 नकल नामान्तरण संख्या 784 ग्राम चावलखेडी नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 62 फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र फोटो प्रति आधार कार्ड नकल विक्रय पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी दिनांक 23.09.2013 को जर्से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार मांगीबाई से खरीद की जिसका नामान्तरण संख्या 784 दिनांक 20.11.2016 को प्रार्थीया के नाम खोला था परन्तु लिपिकीय त्रृटि से जाति जाटव के स्थान पर जाति यादव लिखने मे आ गया। प्रार्थीया की जाति जाटव है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया की जाति सहवन से त्रुटि वश चमार अंकित हो गयी। प्रार्थीया की सही व वास्तविक जाति सही नही होने से प्रार्थीया को अपनी भूमि के विकास व ऋण आदि लेने मे परेशानी होती है। सामाजिक व राजकीय कार्य में अशुद्ध जाति का राजस्व रिकार्ड में होने से मानसिक पीडा होती है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2013 एवं प्रार्थीया के जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थीया की जाति जाटव ही अंकित है प्रार्थीया की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जाति चमार के स्थान पर जाटव दर्ज किया जावें। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 63 में प्रार्थीया कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव जाति चमार दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 784 ग्राम चावलखेडी में कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव जाति यादव हिस्सा 1/15 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 62 में कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव जाति यादव दर्ज है प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र दिनांक 04.02.2009 के अनुसार कमलेश पत्नि लक्ष्मीचनद जाति जाटव अंकित है रजिस्टर्ड विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पत्र दिनांक 23.09.2013 के अनुसार मांगी बेवा नन्दा जाति चमार निवासी चावलखेडी द्वारा अपना हिस्सा 1/15 कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव जाति जाटव निवासी छबडा के पक्ष में विक्रय किया जाना अंकित है फोटो प्रति आधार कार्ड कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार छबडा ने जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चावलखेडी की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 63 में कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव जाति चमार हिस्सा 1/15 दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीया कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव ने मांगीबाई से दिनांक 23.09.2013 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी थी विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरण 784 दिनांक 20.11.2016 को दर्ज किया उस समय प्रार्थीया की जाति यादव दर्ज हो गयी जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार जाति जाटव दर्ज होनी थी। सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 63 में प्रार्थीया खातेदार की जाति चमार दर्ज है जबकि प्रार्थीया कमलेश यादव पत्नि लक्ष्मीचन्द यादव की जाति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में जाटव है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों में भी जाति जाटव है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया की जाति जाटव है प्रार्थीया अपनी जाति चमार,यादव के स्थान पर जाटव दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 389 रकबा 2.9716 है0 में से हिस्सा 1/15 क्रय किया गया था। परन्तु तहसीलदार छबडा द्वारा विक्रय पत्र का नामान्तरण खोलतें समय सम्पूर्ण भूमि में क्रेता कमलेश का हिस्सा 1/15 दर्ज कर दिया गया तथा विक्रेता का नाम खाते से हटा दिया गया जबकि विक्रेता का खसरा नम्बर 384 रकबा 1.3404 है0 खसरा नम्बर 385 रकबा 0.1897 है0 में विक्रेता मांगीबाई का हिस्सा दर्ज रहना चाहियें था। प्रार्थीया का प्रार्थना तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 389 रकबा 2.9716 है0 में प्रार्थीया की जाति चमार के स्थान पर जाटव दर्ज करने एवं शेष खसरा नम्बर 384 रकबा 1.3404 है0 खसरा नम्बर 385 रकबा 0.1897 है0 में मांगीबाई का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु तहसीलदार छबडा को आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा